

याचिका क्रमांक-(सी) 193/2016

अतिमहत्वपूर्ण

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

1250 तुलसी नगर भोपाल

(Telephone- 0755-2556916, FAX-0755-2552665)

(E-mail address: dpswbpl@nic.in)

क्रमांक/सा.सहा./02/2019/ 168

भोपाल, दिनांक 21-01-2019

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
म.प्र.
2. समस्त आयुक्त नगर निगम
म.प्र.
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत
म.प्र.
4. समस्त संयुक्त/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत
म.प्र.
6. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिक/नगर पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषय:- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के पात्र पेंशन हितग्राहियों के बैंक खातों को आधार सीडिंग से लिंक करने के संबंध में।

संदर्भ:- मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्रमांक/2018/अ.मु.स.वित्त/13 दिनांक 13 फरवरी 2018 एवं संचालनालय का ज्ञापन क्रमांक/सामा.सहा./3/2018/ 323 दिनांक 09-03-2018

---0---

प्रदेश के पेंशन हितग्राहियों के बैंक खाते लिंक करने के निर्देश पूर्व में संदर्भित पत्रों के माध्यम से करने हेतु लिखा गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा याचिका क्रमांक-(सी) 193/2016 डॉ. अश्विनी कुमार विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26-11-2018 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 31

जनवरी 2019 तक भारत सरकार को उत्तर प्रस्तुत किया जाना है। इस संबंध में प्रदेश में पेंशन प्राप्त कर रहे हितग्राहियों के बैंक खाते आधार सीडिंग से करने की स्टेटस रिपोर्ट से भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली को अवगत कराया जाना है।

वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 1,82,854 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 9,87,861 एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के 1,12,897, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 8,34,584, मुख्य मंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के 49,319, मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना के 68,183, हितग्राहियों के बैंक खाते आधार से लिंक है। पूर्व में बैंक खाते में आधार नम्बर दर्ज करने तथा बैंक शाखा से आधार नम्बर अभिप्रमाणित करने हेतु निर्देश दिये गये थे।

अतः जिले में पेंशन हितग्राहियों के बैंक खाते को आधार से लिंक करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाकर पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पात्र हितग्राहियों का आधार पंजीयन कार्य पूर्ण कराने, उनके बैंक खाते में आधार नम्बर दर्ज कराने, बैंक खाते में आधार का अभिप्रमाणन कराने की विस्तृत कार्य योजना जिला स्तर पर तैयार कर 31 जनवरी 2019 तक संचालनालय के ई-मेल पर अनिवार्यतः भिजवाने का कष्ट करें। आगामी वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जिलों द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

कृपया उपरोक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

(कृष्ण गोपाल तिवारी)

संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./सा.सहा./02/2019/ 169

भोपाल, दिनांक 21-01-2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र.।
2. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। संबंधितों से समन्वय कर खातों को अपडेट कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

उप संचालक

वास्ते संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश